भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-424

बुधवार, 5 फरवरी, 2020/16 माघ, 1941 (शक)

मध्य प्रदेश में मजदूरों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

424. डा॰ अमी याज्ञिकः
श्री राजमणि पटेलः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान मजदूरों के लिए विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के अंतर्गत मध्य प्रदेश और गुजरात को दी गई केन्द्रीय सहायता का वर्ष-वार एवं योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त योजनाओं के दौरान लाभान्वित मजदूरों की वर्ष-वार और योजना-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अपने द्वारा मजदूरों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता के जरिए प्रयासों को अनुपूरक करने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उपर्युक्त योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय केन्द्र प्रायोजित योजना नामतः राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) का कार्यान्वयन कर रहा है। एनसीएस परियोजना में रोजगार कार्यालय और मॉडल से संबंधित कैरियर संस्थानों (एमसीसी) की स्थापना शामिल है, जो प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ उठाने के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। यह योजना राज्यों को आईटी उन्नयन और रोजगार कार्यालयों के मामूली नवीनीकरण और नौकरी मेलों के आयोजन के लिए भी सहायता प्रदान करती है। राज्यों की निधियां एनसीएस की विभिन्न घटकों के अंतर्गत आदर्श करियर केन्द्रों की स्थापना करने एवं रोजगार कार्यालयों को आपस में जोड़ने से संबंधित प्रस्ताव के लिए जारी की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश और गुजरात को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

(रु. लाख में)

राष्ट्रीय करियर सेवा	2016-17	2017-18	2018-19
मध्य प्रदेश	576.99	114.80	-
गुजरात	393.35	43.00	-

एनसीएस श्रमिकों के मामलों को नहीं देखती है। फिर भी, एनसीएस नियोक्ताओं एवं रोजगार चाहने वालों को रोजगार संबंधी सहायता उपलब्ध कराती है।

*****